इकाई 31 वंचित और सकारात्मक कार्य

इकाई की रूपरेखा

31.0 उद्देश्य

31.1 परिचय

31.2 सकारात्मक कार्य के औचित्य

31.2.1 निरंतर भेदभाव के प्रमाण

31.3 सैद्धांतिक मुद्दे

31.4 सकारात्मक कार्य : सांसारिक परिप्रेक्ष्य

31.4.1 भारत में सकारात्मक कार्य

31.4.2 मलेशिया में सकारात्मक कार्य

31.4.3 नामिबिया और दक्षिण अफ्रीका में सकारात्मक कार्य

31.4.4 संयुक्त राज्य अमेरिका में सकारात्मक कार्य

31.4.5 फ्रांस में सकारात्मक कार्य

31.5 अवधारणा की समीक्षा

31.5.1 गुण संबंधी तर्क

31.5.2 अधिकार संबंधी तर्क

31.5.3 कार्य क्षमता संबंधी तर्क

31.5.4 बलकनाईज़ेशन संबंधी तर्क

31.6 सारांश

31.7 कुछ उपयोगी संदर्भ

31.8 बोध प्रश्नों के उत्तर

31.0 उद्देश्य

वंचित समूह प्रजाति, रंग, जाति, लिंग और जैविक असमर्थता के रूप में हमारे सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक निर्माण का एक अहम हिस्सा हैं। इन सीमांत समूहों को सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक जीवन की मुख्य-धारा में, विशेषतया बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध से लाने की कोशिश की जा रही है।

सकारात्मक कार्य के पक्ष और विपक्ष में तर्क दिये जाते हैं, साथ-साथ सकारात्मक कार्य हेतु कार्यक्रमों को लगातार लागू करने के लिए कानूनी और नैतिक तर्क प्रस्तुत किये जाते हैं। 'गुण' शब्द का इस्तेमाल अक्सर सकारात्मक कार्य के संगत सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप को रद्द करने के लिए किया जाता है।

इस इकाई को पढ़ने के बाद विद्यार्थी निम्नलिखित बातों को जान पायेंगे :

- वंचित समूह कौन-कौन से हैं?
- सकारात्मक कार्य की अवधारणा की व्याख्या कैसे की गई है?
- आधुनिक समय में सकारात्मक कार्य का क्या औचित्य है?
- इस अवधारणा के सैद्धांतिक पहलू क्या हैं?
- संसार के विभिन्न भागों में सकारात्मक कार्य की अवधारणा का सूत्रपात कैसे हुआ है?
- सकारात्मक कार्य के निर्णयात्मक पहलू क्या है?

सैद्धांतिक दृष्टि से सकारात्मक कार्य को सामान्य स्वीकृति प्राप्त है, क्योंकि इसमें निहितार्थ है कि ऐसे कदम उठाये जाने चाहिए, जिससे कि सभी व्यक्ति समान बने और पारंपरिक और पारंपरिक और पूर्वाग्रहों से ग्रसित चलनो (practices) को रोका जा सके।

31.1 परिचय

आज की समसामयिक चर्चा का विषय, सकारात्मक कार्य, अन्य सभी गंभीर वाद-विवाद के मुद्दों जैसे बहु-संस्कृतिवाद, द्वि-भाषीय शिक्षा, आप्रवासन इत्यादि की तरह आधुनिक, राजनीतिक सिद्धांत का अभिन्न अंग बन गया हैं। दृढ़ ध्रुवीकरण, जो इन सैद्धांतिक वाद विवादों से उत्पन्न होता है, अक्सर यह देखने में असफल रहता है कि सच्चाई कहीं बीच में है। अतः विषय पर खुले और अपक्षपातपूर्ण रैवेये की अधिक ज़रूरत है। वंचित और सकारात्मक कार्य की अवधारणा 1960 के दशक में अमेरिका में 'नागरिक अधिकार आन्दोलन' (Civil Rights Movement) के प्रयासों के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुयी, जो अमेरिका को उसके मौलिक संविदा (Contract) – कि 'सभी व्यक्ति समान बनाये गये हैं– को मनवाने के लिये था। इसके अतिरिक्त, राजभक्ति की शपथ (Pledge of Allegianee) में सभी के लिए स्वतन्त्रता और न्याय का वादा किया गया था। यह आदर्शवाद सभी व्यक्तियों के साथ बिना रंग, राष्ट्रीयता, जाति, धर्म और लिंग का भेदभाव किये समान अवसर का वादा था, जिन्हें इतिहास में उक्त वक्त तक सम्मान नहीं दिया गया था। इस अदेय अधिकार के लिये नागरिक अधिकार आन्दोलन के संस्थापक और अनुयायी आगे बढ़े और मरे, और अंततः 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम को प्राप्त किया। जॉनसन प्रशासन ने संयुक्त राज्य कार्यपालिका आदेश 11246 को जारी करते हुए 1965 में सकारात्मक कार्य को गले लगाया, बाद में कार्यपालिका आदेश 11375 के द्वारा इसमें संशोधन किया। आदेश के द्वारा संशोधन का उद्देश्य 'भूत और वर्तमान विभेद के प्रभाव को कम करना था'। यह संघीय संविदाकार या उप-संविदाकार को किसी भी कर्मचारी या आवेदक के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग या राष्ट्रीयता के आधार पर भेदभाव करने से रोकता था।

ऐसे अन्याय को खत्म करने के क्रम में, विशेषकर आवास, शिक्षा और रोज़गार के क्षेत्र में कदम यह सुनिश्चित करने के लिए उठाये गये थे कि, जिन समूहों को ऐतिहासिक दृष्टि से सामाजिक मान-सम्मान से परे रखा गया था या जिन तक उनकी सीमित पहुँच थी, उन्हें शामिल करने के लिए मौके दिये जायें। इस प्रकार यह सामाजिक नीतियाँ सामाजिक रूप से वंचित समूहों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से संबंधित थीं, विशेषकर रोज़गार, शिक्षा और आवास के क्षेत्र में बिना जाति, रंग, धर्म, लिंग या राष्ट्रीयता के आधार पर भेदभाव के। भेदभाव की ऐतिहासिक प्रवृत्ति के विपरीत, योग्य व्यक्ति के लिए समान अवसर प्रदान करना ही अवधारणा का लक्ष्य था।

महिलाओं के साथ उनके लिंग के नकारात्मक अर्थ के कारण भेदभाव किया जाता है। इस प्रकार समाधान एक से अधिक जाति या लिंग नहीं हैं, बल्कि सांस्कृतिक रूप से स्वीकृत उन नीतियों के विनाश से, जो जाति/लिंग की श्रेष्ठता और पद की गरिमा की रक्षा करती हैं, समाज का पुनर्गठन किया जा सकता है।

इस प्रकार की 'रंगपूर्ण' जाति प्रथा की प्रवृत्ति का 1858 के एक अमेरिकी निबंध के निम्न अंश में पता लगाया जा सकता है :

> ''... 'नीग्रो' बुद्धिजीवी की ऐसी कमी को उजागर करता है।... उनकी (नैतिक) स्थिति इतनी गिरी हुई है कि उनकी मानवीयता पर भी संदेह किया जाता है। ... कामुकता उनकी सबसे महत्त्वपूर्ण इच्छा है, और इस प्रकार बलात्कार एक अति शीघ्र होने वाला आचरण है।

खास बिन्दू यह है कि यद्यपि यह 1858 के निबंध का अंश था, इसने शहर के अटॉर्नी के प्रशिक्षण और विरासत को प्रभावित किया। इस प्रकार का जातीय और सामाजिक भेदभाव कालों को गोरों से नीचा दिखाने के लिए किया जाता था। यह आज भी काले-गोरे के संबंधों की पूर्वचेतना या अचेतन चलन में विद्यमान है।

'स्वीकृत सर्वोच्चता की' सूक्ष्म-उग्रशील प्रवृत्ति जातीय अंतःक्रियाओं के संचालन और निर्णयों, प्रवेश संबंधी निर्णयों, सुनवाइयों और संयुक्त राज्य अमेरिका में मानव जीवन के प्रत्येक अन्य पहलुओं और संसार के विभिन्न भागों की विभिन्न उद्घोषणाओं और ढाँचों में झलकती है।

अनामारिया लोया, मालडेफ के अटॉर्नी अवधारणा की इस रूप में व्याख्या करते हैं कि ''सकारात्मक कार्य किसी भी पैमाने, नीति या कानून विविधता को बढ़ाने या भेदभाव का समाधान करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिससे कि योग्य व्यक्तियों को रोज़गार, शिक्षा, व्यापार और अवसरों के संविदा की समान पहुँच हो''। वहीं, अबदीन नोबोआ कहते हैं कि ''सकारात्मक कार्य लोगों को गिनने से संबंधित नहीं है, बल्कि लोगों को गिनने लायक बनाने से हैं''।

31.2 सकारात्मक कार्य के औचित्य

ऑलिवर वैंडेल हौलम्स ने कहा था कि ''असमानों के साथ समान व्यवहार से बढ़कर कोई असमानता नहीं है''। यहाँ ऐसे सकारात्मक भेदभाव को उत्पन्न करने की ज़रूरत है, जो मानवता को अधिक मानवीय और प्रगतिशील बना दे।

अरस्तु ने अपनी पुस्तक *निकोमचियन एथिक्स* (Nichomchean Ethics) में लिखा था कि न्याय ही समानता है, जैसा कि सभी व्यक्ति विश्वास करते हैं कि यह किसी भी विवाद से बिल्कुल अलग है। वास्तव में, ग्रीक भाषा में समानता शब्द का अर्थ न्याय होता है।

अरस्तु के अनुसार समानता का अर्थ है कि जो चीज़ें समान हैं, उनके साथ समान और जो चीज़ें असमान हैं, उनके साथ असमान व्यवहार किया जाना चाहिए। अन्याय तब होता है जब समानों के साथ असमान और असमानों के साथ समान व्यवहार किया जाये।

सकारात्मक कार्य सामाजिक अन्याय को दूर करने के लिए आवश्यक बन जाता है। यह समाधान के सिद्धांत (Principle of Redress) पर आधारित है; यह कि असंगत असमानताओं को सुधारा जाये। चूँकि जन्म की असमानतायें असंगत हैं, इन असमानताओं की किसी तरह क्षति पूर्ति की जानी चाहिए। रॉल्स के अनुसार, सभी व्यक्तियों के साथ समानता का व्यवहार और अवसर की वास्तविक समानता प्रदान करने के क्रम में समाज को कम अनुकूल सामाजिक स्थितियों में पैदा होने या रखे जाने वालों के प्रति अधिक ध्यान देना चाहिए। सकारात्मक कार्य भेदभाव की लगातार समस्याओं के निदान के लिए समाज के प्रयासों के एक भाग के रूप में स्थापित किया गया था; अनुभवजन्य प्रमाण जो कि पिछले पृष्ठों में प्रस्तुत किया गया, सूचित करता है कि इसने कुछ हद तक कार्य किया है, जिसका सकारात्मक प्रभाव भेदभाव के परिणामों पर दिखा है। वर्तमान में ऐसा भेदभाव है या नहीं, सकारात्मक कार्य के किसी भी विश्लेषण का केन्द्रीय तत्त्व है।

31.2.1 निरंतर भेदभाव के प्रमाण

अनेक क्षेत्रों में निश्चित रूप से प्रगति हुई है। फिर भी प्रमाण बहुत सारे हैं कि जो समस्यायें सकारात्मक कार्य हल करना चाहता है, वे चारों तरफ फैली हैं। अमेरिकी समाज का

उदाहरण लेते हैं, जहाँ सकारात्मक कार्य की अवधारणा की उत्पत्ति हुई, काले और गोरे की आर्थिक स्थिति में स्पष्ट अंतर, और पुरुषों और महिलाओं के बीच, स्पष्टतः सामाजिक और आर्थिक कारणों के चलते सामान्य भेदभाव को बढ़ावा देते हैं।

भेदभाव के चलन को इंगित करने की एक सम्मानित विधि आकस्मिक जाँच (Random Testing) का इस्तेमाल करना है, जिसमें व्यक्ति समान नौकरी, वर्ग या समान अन्य लक्ष्य के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। उदाहरणार्थ, फेयर इम्पलॉयमेंट काउंसिल आफ ग्रेटर वॉशिंगटन इंक (Inc.) ने 1990 और 1992 के बीच जाँचों की श्रृंखला का आयोजन किया। जाँच ने पाया कि कालों के साथ स्पष्टतया उस समय के समान रूप से योग्य गोरों की अपेक्षा बुरा व्यवहार किया गया था।

इसी प्रकार, नैशनल ब्यूरो ऑफ इक्नॉमिक रिसर्च के शोधकर्ताओं ने पुरुषों और महिलाओं के तुलनीय आवेदनों को फिलैडैल्फिया के रेस्टॉरेंटों को भेजा। ऊँचे दामों वाले रेस्टॉरेंटों में पुरुषों को साक्षात्कार पत्र मिलने की संभावना महिलाओं से दुगनी और नौकरी की पाँच गुना अधिक थी।

न्याय विभाग ने भी इस समान जाँच रिहायशी घरों में भेदभाव को उजागर करने के लिए की थी। इन जाँचों ने भी पर्दाफाश किया कि गोरों को कालों की अपेक्षा अधिक आवासीय इकाइयों में देखा गया, जबकि कालों के पास समान प्रमाण पत्र के बावजूद उन्हें कहा गया कि कोई आवास उपलब्ध नहीं है। जाँच के आरंभ से, न्याय विभाग ने 20 संघीय आरोपों का कुल 1.5 मिलियन डॉलर में समझौते के द्वारा निपटारा किया। राष्ट्रपति बुश के अधीन एक गठित संस्था ग्लास सिलिंग आयोग और विधायकीय संचालित सीनेटर डोल ने अपनी हाल की, एक रिपोर्ट इस प्रकार प्रस्तुत की :

- गोरे पुरुष फॉरच्युन 1000 औद्योगिक और फॉरच्युन (Fortune) 500 सेवा उद्योगों में वरिष्ठ व्यवस्थापक पदों पर 97% तक आसीन हैं। केवल 0.6% अफ्रीकन-अमेरिकन, 0.3% एशियाई और 0.4% हिसपैनिक (Hispanic) इन पदों पर हैं।
- अफ्रीकन-अमेरिकन प्राईवेट सैक्टर के ऊँचे पदों पर सिर्फ 2.5% ही हैं और पेशेवर डिग्री वाले अफ्रीकन-अमेरिकन गोरे व्यक्तियों द्वारा कमायी गई रकम की तुलना में सिर्फ 79% प्रतिशत रकम कमाते हैं। अफ्रीकन-अमेरिकन महिलायें गोरे पुरुषों द्वारा कमायी गई रकम की तुलना में सिर्फ 60% प्रतिशत रकम ही कमाती हैं।
- महिलायें वरिष्ठ व्यवस्थापक पदों पर सिर्फ 3 से 5% ही हैं, सिर्फ दो महिलायें सी.ई.ओ. (CEOs) पद पर फॉरच्युन 1000 कम्पनियों में हैं।
- निम्न स्तर के गोरे पुरुष कर्मचारियों के भय और पुर्वधारणा को महिलाओं और अल्पसंख्यकों की प्रगति के प्रमुख बाधक के रूप में स्वीकार किया गया। रिपोर्ट में यह भी पाया गया था कि बोर्ड के आर-पार पुरुषों की प्रगति महिलाओं की अपेक्षा अधिक होती है।
- अफ्रीकन-अमेरिकन की बेरोज़गारी दर 1994 में गोरों की बेरोज़गारी की दर से दुगुनी थी। पूर्ण-कालिक और पूरे वर्ष कार्यरत काले पुरुषों की औसत आय 1992 के वर्ष में गोरे पुरुषों की आय से 30% कम थी। हिस्पैनिक प्रत्येक वर्ग में मामूली रूप से ही बेहतर थे। 1993 में काले और हिस्पैनिक पुरुषों की गोरों की तुलना में व्यवस्थापक या पेशवर बनने की संभावना आधी ही थी।
- 1992 में 50% से भी अधिक 6 साल से कम अफ्रीकी-अमेरिकी बच्चे और 44% हिस्पैनिक बच्चे गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करते थे, जबकि सिर्फ 14.4% गोरे

बच्चे ही इस तरह की ज़िंदगी बसर करते थे। 33.3% अफ्रीकन-अमेरिकन 29.3% हिस्पैनिक और 11.6% गोरों की समग्र गरीबी दर थी।

- कालों की रोज़गार स्थिति सुदृढ़ नहीं है, आर्थिक उन्नति में उनकी बेरोज़गारी की ग्राफ रेखा नीचे की ओर जाती है। उदाहरणार्थ, 1981-82 में मंदी के वक्त, कालों के रोज़गार में 9.1% की गिरावट आई, जबकि गोरों के रोज़गार में 1.6% की कमी आई। हिस्पैनिक की बेरोज़गारी भी अमेरिकन गोरे के बेरोज़गार की अपेक्षा अधिक चक्रीय है।

- शिक्षा की असमान पहुँच आर्थिक असमानता की सृजन वृद्धि में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। 1993 में 3 प्रतिशत से कम कॉलेज के स्नातक बेरोज़गार थे, लेकिन 22.6 प्रतिशत गोरों के पास कॉलेज की डिग्रियाँ थीं। लेकिन केवल 12.2 प्रतिशत अफ्रीकन-अमेरिकन और 9.0 प्रतिशत हिस्पैनिक के पास ऐसी डिग्री थी।

- 1990 की जनगणना से स्पष्ट हुआ कि राष्ट्रीय कारोबार के 2.4 प्रतिशत पर कालों का स्वामित्व था। परंतु इन काले कारोबारियों के 85 प्रतिशत के पास कोई कर्मचारी नहीं था। यहाँ तक कि शैक्षिक श्रेणी के अंतर्गत भी अल्पसंख्यकों और महिलाओं की आर्थिक स्थिति में गिरावट है। स्नातकोत्तर डिग्री वाली औसत महिला अधीनस्थ डिग्री वाले पुरुष के समान पैसे कमाती है।

- ये खाइयाँ, तार्किक रूप से, आज विश्व के सबसे विकसित समाज में एक रचनात्मक कार्यक्रम की ज़रूरत को औचित्य प्रदान करती हैं, जिससे कि समाज में सर्वत्र व्याप्त असमानता और अन्याय का सामना, साहस और प्रतिबद्धता से किया जा सके।

बोध प्रश्न 1

नोट : i) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए रिक्त स्थान का प्रयोग करें।

ii) अपने उत्तर के सुझावों के लिए इकाई का अंत देखें।

1) संयुक्त राज्य अमेरिका के विशेष संदर्भ में सकारात्मक कार्य की उत्पत्ति तथा प्रारंभिक इतिहास पर प्रकाश डालें।

.....

.....

.....

.....

.....

2) संयुक्त राज्य अमेरिका में जातीय भेदभाव के परिदृश्य की व्याख्या करें।

.....

.....

.....

.....

.....

31.3 सैद्धांतिक मुद्दे

समस्या की गंभीरता को देखते हुए, करीब-करीब सभी विचारकों ने, उदारवादियों से लेकर स्वतंत्रतावादियों और मार्क्सवादियों से लेकर सामाजिक प्रजातांत्रिकों ने अपने-अपने ढंग से इस मुद्दे को देखने का प्रयास किया है। इन सभी के बीच एक सामान्य सहमति है कि व्यक्तिगत परिस्थितियों की समानता असंभव है।

जॉन रॉल्स असमानता को कम करने के लिए ठोस केस प्रस्तुत करते हैं; जैसा कि वे स्वीकारते हैं कि यदि असमानतायें सामाजिक प्रतिभाओं और ऊर्जाओं से प्रत्येक को लाभ पहुँचाती हैं, तब वे सभी को स्वीकार्य होंगी।

दूसरी तरफ, स्वतंत्रतावादियों का मानना है कि व्यक्ति के संदर्भ में समानता न सिर्फ वांछनीय नहीं है, बल्कि यह प्रोत्साहन और विकास को कम करती है। वे अवसर की समानता तथा कानून के समक्ष समानता की बातें तो करते हैं, लेकिन समानता के सामान्य अर्थ में यह स्पष्टतः उनके लिए प्रोत्साहन का विरोधी है। हम जिस शीघ्र आर्थिक विकास की अपेक्षा करते हैं, बड़े पैमाने पर यह प्रतीत होता है कि यह असमान परिस्थितियों का परिणाम है। कार्ल मार्क्स का समानता संबंधी दृष्टिकोण व्यक्तिगत परिस्थिति की समानता के विचार, सामानों और आमदनियों के समान आवंटन के अर्थ में पूरी तरह से अलग है। वे वर्ग-विभेद को पूरी तरह से खत्म करना चाहते थे, जिससे दमन और शोषण खत्म हो जायें और उनसे उत्पन्न होने वाली सारी सामाजिक और राजनीतिक असमानता अपने आप विलीन हो जाये। साम्यवाद के प्रथम चरण में, उन्होंने श्रम के समान अधिकार को असमानता का कारण माना, लेकिन साम्यवाद के अंतिम चरण में उन्होंने विश्व में सामानों और आय के आवंटन के अर्थ में समानता के अर्थ को सीमित किया।

सामाजिक प्रजातंत्रवादियों और फेबियनों ने समानता के वास्तविक माप के पक्ष को माना है, लेकिन वे मुक्त बाज़ार पूँजीवाद के बुनियादी ढाँचे के साथ कुछ करना चाहते हैं, यह विश्वास करते हुए कि असमानता के कुछ रूप लम्बे समय के विकास के उद्देश्य से मात्र वांछनीय नहीं हैं, बल्कि चीज़ों के प्राकृतिक क्रम का एक भाग भी हैं; उन्होंने इसे भी स्वीकार किया है।

समानता की उनकी अवधारणा और मानव विकास के लिए इसकी प्रासंगिकता के अतिरिक्त न्याय प्राप्त करने संबंधी उनके विचार भी ज्ञानवर्धक हैं, जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति को जानकारी है कि समानता की अवधारणा के समान ही न्याय की विभिन्न अवधारणायें हो सकती हैं।

रॉल्सियन योजना के अंतर्गत, न्याय की अवधारणा सुनिश्चित करती है कि सामाजिक व्यवस्था इस प्रकार की हो जो समाज के सबसे कम सुविधा भोगी सदस्यों की अवस्था को सुधारे। वास्तव में रॉल्सियन न्याय समाज के बहुत से दयनीय सदस्यों के सुधारने की दिशा में पूरी तरह से लगा हुआ है। रॉल्स अवसर की समानता सुनिश्चित करने की बात करते हैं, क्योंकि यह लोगों के भाग्य को सुनिश्चित करता है, जो उनके चुनाव के द्वारा निर्धारित होता है, न कि उनकी परिस्थितियों के द्वारा। ''मेरा उद्देश्य उन असमानताओं को व्यवस्थित करना है, जो लोगों के जीवन अवसरों को प्रभावित करती हैं और न कि उन असमानताओं को जो लोगों के व्यक्तिगत चुनावों से उत्पन्न होती हैं, जो व्यक्ति के स्वयं की जिम्मेवारी होती है''। रॉल्स एक ऐसी योजना को सुनिश्चित करने की चेष्टा करते हैं, जिसको प्रो. ड्र्योकिन ने 'असंवेदनशील प्रतिभा और संवेदनशील आकांक्षा' (Endowment Insensitive and Ambition Sensitive) की व्यवस्था के नाम से पुकारा है। कोई भी प्रणाली

न्यायसंगत हैं, यदि वह अयोग्य असमानताओं की सुनवाई का ख्याल करती हैं और चूँकि जन्म की असमानतायें अयोग्य होती हैं, इन असमानताओं की किसी तरह क्षतिपूर्ति की जानी चाहिये।

स्वतंत्रतावादी विचारकों जैसे हैक और फ्रीडमैन ने व्यक्तिगत परिस्थितियों की समानता को सुनिश्चित करने में कठिनाई को महसूस किया हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने नैतिक और राजनीतिक असमानता को खत्म करने की बातें की हैं। उन्होंने अपना विचार-विमर्श 'अवसर की समानता तथा कानून के समक्ष समानता' को सुनिश्चित करने पर केन्द्रित किया है। यहां पूर्वानुमान है कि यह न्याय को सुनिश्चित करता है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है। अवसर की समानता का सिद्धांत प्रत्येक व्यक्ति को, जो वह चाहता है और जिसे करने की उसके पास क्षमता है, समान अवसर प्रदान करता हैं। मार्क्स के अनुसार, न्यायोचित व्यवस्था के अंतर्गत सभी वर्गों की पहचान को खत्म कर दिया जाता है।

यह आवश्यक रूप से एक ऐसी व्यवस्था नहीं है, जहाँ समानता का वर्चस्व होता है, क्यों समानता मौलिक रूप से मध्यवर्गीय विचारधारा है जिसका श्रमिक वर्ग की मागों तथा उद्देश्यों के ब्यान में कोई जगह नहीं होती है। यद्यपि राज्य प्रभावी वर्ग द्वारा अपने अश्रित वर्ग का दामन एवं शोषण करने का साधन होता है, सर्वहारा वर्ग के हाथों में राज्य मध्यवर्ग, अन्य प्रतिक्रियावादी और मुकाबला करने वाली प्रतिक्रियावादी शक्तियों के विरुध संसाधनों का शीघ्रता से पुनः विभाजन को प्रभावित करने वाला माध्यम होगा।

सामाजिक प्रजातंत्रवादी एक ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करने के पक्ष में हैं, (एक न्यायोचित), जहां पूँजीवाद के बुनियादी ढाँचों को बिना कुछ किये समानता की काफी हद तक गारण्टी हो।

जिन्होंने विशेष रूप से इस प्रश्न पर ध्यान दिया है, वे महसूस भी करते हैं कि वंचित समूहों के कष्टों का निवारण करने के लिए सकारात्मक कदम, सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है।

आर.एच. टॉनी ठोस पुनः वितरण के प्रबल पक्षधर हैं और विशेष रूप से शिक्षा के लिए सार्वजनिक प्रावधान सभी बच्चों के लिए ताकि वे स्वतंत्रता के योग्य और व्यक्तिगत भेदों को पूर्ण करने में अधिक सक्षम और व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं को बढ़ाये।

ऐसे विचारकों की विचारधाराओं को सम्मिलित करते हुए अमर्त्य सेन 'बुनियादी सामर्थ्य समानता' (Basic Capability Equality) के अपने तर्क के इस पक्ष पर ज़ोर देते हैं। उनका कहना है कि व्यक्तिगत दावों को संसाधनों या प्राथमिक सामानों, जो व्यक्ति के अधीन हैं, के संदर्भ में, वे जीवन के विभिन्न रास्तों में से एक को चुनने के हकदार हैं, जिससे कि वे सार्वजनिक कार्य पोषक स्थल में सुधार, जीवन संभाव्य और अस्वस्थ्यता और नवजात शिशु की मरणशीलता को कम करके व्यक्तिगत क्षमताओं के विकास के महत्त्व का कारण दे सकते हैं।

भविष्यवादी रुख अपनाते हुए मि. एडली उन संभावित रूपों को ढूँढ़ते हैं, जो सकारात्मक कार्य भविष्य में अपना सके। यह सिद्धांतवादी सकारात्मक कार्य के तीन ढाँचों को प्रस्तुत करते हैं; प्रथम, सकारात्मक कार्य का 'रंग अंध' (Colour Blind) दृष्टिकोण होता है। यह स्वरूप नस्लीय उपायों को केवल उनके लिए एक समाधान के तौर पर देखता है, जोकि साबित कर सके कि वे भेदभाव के पृथक कार्यों के शिकार हैं।

सकारात्मक कार्य की दूसरी व्याख्या को 'अवसर और भेदभाव विरोधी' व्याख्या कहा जा सकता है। यह व्याख्या अल्पसंख्यकों के लिए समान अवसर प्रदान करने की पक्षधर है,

लेकिन समान परिणामों की ज़रूरत महसूस नहीं करती। यह व्याख्या स्वीकार करती है कि नस्लवाद से क्षति 'जातियों के बीच आर्थिक और सामाजिक विषमता को उत्पन्न करती है'। सकारात्मक कार्य की यह व्याख्या इन क्षतियों को दूर करने की कोशिश करती है।

अंततः, तीसरी व्याख्या 'सुधार एवं सम्मिलित' (Remediation Plus in clusion शामिल की कही जा सकती है। यह व्याख्या विचार की 'प्रमुख' उपागम है और मुख्य रूप से सुझाव देती है कि विभिन्नता अपने आप 'राज्य ध्यानकर्षण का विषय' है।

ये नमूने नव-विश्व की व्यवस्था के लिए उकसाते हैं, जो बहुलता को शोषण के बदले प्रगति के साधन के रूप में अपनाते हैं। नव-सैद्धांतिक ढाँचे की आवश्यकता इस वास्तविकता से समझी जा सकती है कि भेदभावपूर्ण प्रवृत्ति अधिक सूक्ष्म, अवचेतन और परिष्कृत बन गयी है, इसलिए इसे उस स्तर पर निर्देश दिया जाना चाहिए। इसे मात्र असमानताओं के संदर्भ में नहीं समझा जा सकता था, जो वंचित लोगों की एक अति साधारण छवि प्रस्तुत करती है।

तीन मुख्य तत्त्व हैं, जहाँ सकारात्मक कार्य कार्यक्रम संबंधी सकारात्मक समानता की परम्परागत समझ पर भारी पड़ते हैं :

प्रथम, सकारात्मक कार्य कार्यक्रम पूर्व-सक्रिय (Pro-active) होते हैं और एक विविध आवेदक समूह को सुनिश्चित करने के लिए नीतियों और प्रक्रियाओं को समाहित करते हैं। सकारात्मक कार्य का अर्थ दाखिले और प्रौन्नति के कोटा नहीं हैं, जो वास्तव में अवैधानिक होते हैं। न इसका आवश्यक रूप से अर्थ पसंदगी का दाखिला होता है। यहां लक्ष्य है, एक स्व-चेतन और और सक्रिय ढंग से एकत्रित करना, ताकि सूक्ष्म पूर्वाग्रहों को काटा जा सके, पूर्णतया योग्य उम्मीदवारों का दाखिले या प्रौन्नति का एक विविध समूह है।

द्वितीय, सकारात्मक कार्य कार्यक्रम की सबसे सामान्य विशेषता है, रिकॉर्ड रखना और वास्तविक उपलब्ध आँकड़ों को पहचानने पर ज़ोर देना, जिससे संगठन अपने विभिन्न लक्ष्यों के संदर्भ में प्रगति का अनुमान लगा सकते हैं। व्याप्त भेदभाव की सूक्ष्म प्रक्रिया का पता लगाया जा सकता है और प्रयोगशाला की संरचित शर्तों के अंतर्गत अलग-थलग किया जा सकता है। फिर भी संगठनिक निर्णय प्रक्रिया में, जहाँ कि प्रयोग की नियंत्रित शर्ते कठिनायी से ही संभव होती हैं, समकालीन पूर्वाग्रह वंचित समूहों के सदस्यों के साथ समान व्यवहार को चुनौती देते हैं। न केवल पूर्वाग्रह धारणा करने वाले अक्सर अपने उद्देश्यों से सजग नहीं होते हैं, अपितु खोज ने यह साबित किया है कि भेदभाव के शिकार भी पहचान नहीं सकते है कि उनके साथ व्यक्तिगत रूप से भेदभाव किया गया है। विषमताओं पर व्यवस्थित नजर (Monitoring) से सामान्य सहमति से स्वीकृत आयामों के, आधार पर समकालीन पूर्वाग्रहों के संचित प्रभावों को इंगित कर सकते हैं, जो कि किसी भी विषय में निर्धारित प्रभाव की अपेक्षा अधिक प्रमाणिक होते हैं।

तीसरे, सकारात्मक कार्य नीतियां निर्गत (outcome) आधारित होती है; अभिप्राय संबंधी मुद्दे केन्द्रिय नहीं होते हैं। इरादों की अभिव्यक्ति, जो विशिष्टतापूर्वक समान रोज़गार अवसर कार्यक्रम संबंधित प्रमुख मुद्दा है, समकालीन पूर्वाग्रहों के कारण समस्यामूलक होती है। ये पूर्वाग्रह सामान्यतया बिना इरादे के घटित होते हैं।

इसे और सरल ढंग से पेश करते हुए, पिछले 25 वर्षों में सामाजिक मनोवैज्ञानिकों ने इसे पहचाना है तथा भेदभाव के समकालीन पूर्वाग्रहों के सूक्ष्म प्रकृति को दस्तावेज से प्रमाणित किया है। प्रत्यक्ष और आसानी से समझने योग्य परम्परागत रूपों के विपरीत, समकालीन भेदभावों को अनचाहे ढंग से, अप्रत्यक्ष और बुद्धिमत्तापूर्ण तरीकों से दर्शाया जाता है। समकालीन भेदभाव की सूक्ष्म प्रकृति के कारण, निष्क्रिय समान अवसर रोज़गार नीतियाँ

परम्परागत वंचित समूहों के न्यायिक और अभेदभावपूर्ण समाधान को सुनिश्चित नहीं कर सकती हैं। वंचित व्यक्तियों और समूहों की सुरक्षा के लिए नीतियाँ विदित 'आउट-ग्रुप' क्रियाओं से जनित भेदभाव के संदर्भ में अप्रभावकारी हो सकती हैं, 'इन-ग्रुप' पक्षपात पर आधारित भेदभाव पूर्ण समाधान के संदर्भ में अप्रभावकारी हो सकती हैं। इसके विपरीत, सकारात्मक कार्य जिसका ध्यान एक वृहत स्तर पर असमानताओं को रिकार्ड करना और उनके प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करना है और जिसका ज़ोर इरादों की बनिस्पत परिणामों पर है, सूक्ष्म भेदभावों के विशेषकर समस्यामूलक पहलूओं के कुछ भागों को संबोधित करता है, जो लोगों के अच्छे इरादों के बावज़ूद असमानताओं को अस्तित्व में होने की स्वीकृति देते हैं।

बोध प्रश्न 2

नोट : i) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए रिक्त स्थान का प्रयोग करें।

ii) अपने उत्तर के सुझावों के लिए इकाई का अंत देखें।

1) समानता और न्याय की अवधारणाओं के सैद्धांतिक आधार पर विवेचन करें।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

31.4 सकारात्मक कार्य : सांसारिक परिप्रेक्ष्य

यद्यपि इस अवधारणा की उत्पत्ति अमेरिका में हुई, फिर भी इसका विशेष प्रभाव सीमाओं से परे था। अमेरिका में सकारात्मक कार्य, अभियोग कानून, वैधानिक कानून और कार्यपालिका के आदेशों के संदेहास्पद मिश्रणों का परिणाम है, भारत, मलेशिया, नाम्बिया और दक्षिणी अफ्रीका ने अपने संविधानों में सकारात्मक कार्य को जगह दी है।

मलेशिया और भारत में सकारात्मक कार्य को अल्पसंख्यकों के लिए अवसरों का समानीकरण करने के साधन के रूप में सरकार प्रबल समर्थन देती है, जो वर्गीय दमन की वर्षों शिकार रहे हैं।

31.4.1 भारत में सकारात्मक कार्य

भारत दुनिया की किसी भी दूसरी जगह की अपेक्षा सकारात्मक कार्य को इसके सार में लम्बे समय और अधिक तेज़ी से प्रयोग करता रहा है। यद्यपि अमेरिका में सकारात्मक कार्य के परम्परागत विरोधी इसे एक तरफ स्थित तथा कोटा सूचित (Set asides and quotas) करते हुए गलत आंकड़ा प्रस्तुत करते हैं, भारत में कोटा ही कानून है। बड़े पैमाने पर शैक्षणिक और रोज़गार के क्षेत्र में 1950 से जाति प्रथा के आधार पर वंचित लोगों, जैसे अछूतों के लिए उनके कोटे की व्यवस्था की गई है। उदाहरणार्थ भारतीय संसद में 'जातिच्युत' और अन्य गरीब जनजातियों के लिए उनके भौगोलिक प्रतिनिधित्व के सांख्यिकी अनुपात में सीटो की संख्या की वचनबद्धता है।

बड़े उद्देश्य के साथ भारतीय समाज के असुविधाभोगी और शोषित वर्गों के कष्टों के निवारण के लिए और पुनः संरचना तथा असमानता पर ज़ोर देने वाले श्रेणीबद्ध समाज को व्यक्तिगत उपलब्धि और सभी को समान अवसर प्रदान करने के आधुनिक समतावादी समाज में रूपान्तरण, संरक्षात्मक भेदभाव कार्यक्रम को भारतीय संविधान में योजनाबद्ध किया गया है। तथापि, समतावाद का यह आदर्श एक या दो दिन में सामने नहीं आया, बल्कि मध्यकालीन जाति प्रभावित समाज के परंपरागत विधि में परिवर्तन, एक लम्बी प्रक्रिया का चरमबिंदु था। वास्तव में, ये परिवर्तन जाति प्रभावित समाज के परम्परागत तरीकों में लम्बे समय तक चलने वाली प्रक्रिया की पराकाष्ठा था। इस प्रक्रिया में आंतरिक (Indigenous) सुधार तथा पश्चिमी प्रभावों ने बहुत बड़ा योगदान दिया।

भारतीय संविधान निर्माता पिछड़े वर्गों की व्याप्त दयनीय और भयावह दशाओं से भलीभाँति परिचित थे। वे राष्ट्रीय और सामाजिक धाराओं से बहुत पीछे और अलग-थलग थे और सदियों से विभिन्न प्रकार की असमानताओं के कारण सामाजिक रूप से दमित और आर्थिक रूप से शोषित किये जा रहे थे। इस असहायपन में जाति संरचना और वर्ग दमन संवैधानिक सुविधाओं और संरक्षित भेदभाव से पैदा हुआ, बहुत से संदेहों, संघर्षों के चलते ज़ोरदार बहस, अदालती मुकदमें, गली-हिंसा और सामाजिक अस्थिरता को जन्म दिया।

भारत जोकि विश्व की सबसे बड़ी प्रजातांत्रिक व्यवस्था है। जिसकी एक अरब से भी अधिक जनसंख्या है, और 5000 हज़ार वर्षों से भी अधिक पुराना इतिहास और प्रवाहमयी संस्कृति और अनुभवी भूत, अद्वितीय प्रकार के सुक्षात्मक भेदभाव कार्यक्रम का प्रयोग करता आ रहा है। नौकरी, शिक्षण संस्थाओं, विधायकी और स्थानीय स्वशासन संस्थाओं, 'पंचायती राज संस्थाओं' में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गयी है और अब महिलाओं के लिए भी यह किसी भी स्तर पर एक शानदार प्रयोग रहा है। यह भी ध्यान देने की बात है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जाति, हजारों जातियाँ के पूरे खण्ड में देश में फैले हुए हैं। फिर भी, हमने कुछ हद तक लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है, जिसे 57 वर्ष पूर्व तय किया था।

31.4.2 मलेशिया में सकारात्मक कार्य

यद्यपि भारत में सकारात्मक कार्य कार्यक्रम सबसे पुराना है, मलेशिया का प्रयोग सबसे सफल माना जाता है। मलेशिया ने बिना कोटे की ज़रूरत के सफलता प्राप्त की है, वहाँ शिक्षा में तथा सरकारी रोज़गार में बहुसंख्यक, मलय को अब आदर्श माना जाता है।

मलेशियन प्रणाली ने संपत्ति के वास्तविक पुनः वितरण को जन्म किया है; 1969 में जहाँ अनेक मलयों की मलेशियन अर्थ व्यवस्था में मात्र 1 प्रतिशत हिस्सेदारी थी, वहीं अब 20 प्रतिशत से ज़्यादा है। अमेरिकी तुलना में, यह न्यूयार्क स्टॉक एक्सचैंज के स्टॉक व्यापार के सभी हिस्सेदारी को अमेरिकी जनसंख्या में उनके प्रतिनिधित्व के अनुपात में, काले लोगों को बाँटना जैसे होगा।

31.4.3 नामिबिया और दक्षिण अफ्रीका में सकारात्मक कार्य

नामिबिया और दक्षिणी अफ्रीका ने हाल में अपने संविधानों का पुनर्गठन किया है और उनकी समान व्यवस्था है, हाँलाकि उन्होंने अमेरिकी कानूनों से सकारात्मक कार्य भाषा की नकल की है। उदाहरणार्थ, दक्षिणी अफ्रीका के संविधान में बस यह भाषा है : 'सकारात्मक कार्य की अनुमति है'। इसमें यह भी गौर किया गया है, कि विदेशों में सकारात्मक कार्य कार्यक्रम पूरी तरह से कठिनाई से परे नहीं हैं। भारत में, अनेक 'ऊँचे जाति' के सदस्यों ने अमेरिकी

परम्परावादियों की तरह समान तर्क देना शुरू कर दिया है और मलेशिया की व्यवस्था भ्रष्टाचार रहित नहीं हैं।

यहाँ यह जानना आवश्यक है कि सकारात्मक कार्य की अवधारणा का प्रयोग अमेरिका की अपेक्षा अधिक विस्तृत है।

31.4.4 संयुक्त राज्य अमेरिका में सकारात्मक कार्य

14वें संशोधन के अंतर्गत समान सुरक्षा प्रावधान होने के बावज़ूद वर्गीय भेदभाव अमेरिका में 20वीं शताब्दी के मध्य तक बरकरार था। फिर भी, इसके आदर्श और काले लोगों के प्रति इसके व्यवहार के बीच अंतर को 1950 के लगभग और 1954 में मुख्य रूप से सही किया जाने लगा। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने स्कूलों में कालों को अलग करने के विरुद्ध जोरदार विरोध किया। पहला कदम न्यायालयों के निर्णयों में उजागर हुआ और कॉंग्रेस के नागरिक अधिकार कानूनों ने वर्गीय भेदभाव के सिर्फ वैधानिक और अर्द्ध-वैधानिक रूपों को हटा दिया। इन कार्यों ने हाँलाकि सच्ची समानता या अवसर को प्रदान नहीं किया, सामाजिक रूप से वास्तविक समानता की संभावना को उत्पन्न करते हुए सरकारी शक्ति की सकारात्मक प्रयोग का दूसरे कदम के रूप में आदेश दिया। ब्राउन के प्लैसी के निर्णय के विरोध (समान लेकिन पृथक सिद्धांत) पूर्व विचार में निहित था कि सभी को सार्वजनिक रूप से लागू किये जाने वाले, प्रयोजिक या जातिय समर्थित भेदभाव सीमा से परे थे, समान सुरक्षा उपहार नहीं, बल्कि, एक जन्मसिद्ध अधिकार था।

ब्राउन के एक दशक के बाद कॉंग्रेस ने 1964 में नागरिक अधिकार अधिनियम लागू करके अलगाव को खत्म करने के लिए आन्दोलन में भाग लिया। इसने साधारण अर्थ में किसी व्यक्ति के साथ जाति, रंग या जातिय उत्पत्ति से संबंधित भेदभाव के संदर्भ में किसी कार्यक्रम या गतिविधि जिसे कि संघीय कोष प्राप्त होता था, पर प्रतिबंध लगाया। इन प्रयासों को जातिय वर्गीकरण का प्रयोग करते हुए जनादेश की तरह देखा गया है। ऐलौन बक मुकदमें में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय और वाद-विवाद ने अमेरिकी सकारात्मक कार्यक्रम को संवैधानिकता पुनः शक्तिशाली बनाया है।

फिर भी न्यायियक उद्घोषणा और शैक्षणिक और दार्शनिक विषयों पर अमेरिका में गर्मजोशी से वाद-विवाद वास्तव में भारत के सुरक्षात्मक कार्यक्रम के अनेक जटिल और पेचीदा मुद्दों को समझने में सहायक है। जो भारत के वैविध और वर्ण संस्कृति को संभालना बहुत ही कठिन हैं। संदर्भ थॉमस निर्णय में न्यायाधीश कृष्णा अय्यर की उद्घोषणाओं को लिया जा सकता है, जो अमेरिका में कालों की अक्षमताओं की क्षतिपूर्ति को भारत में हरिजनों की अक्षमताओं की क्षतिपूर्ति की समस्याओं के समानांतर रूप में देखा जा सकता था। इसी प्रकार न्यायाधीश अय्यर ने समानता के आधार पर रोजगार समझने में ''श्लेसिंगर बनाम बलार्ड (Schlesinger V. Ballard Case) मुकद्में का ज़िक्र किया। वास्तव में, अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने इस मुकद्दमें में विवेकशील आधार जाँच का प्रयोग करते हुए वर्गीकरण को महिला नौसैनिक अधिकारी के पक्ष में बरकरार रखा, जो गोपालन और चंपकम दोराइराजन मुकद्में में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपनाये गये तर्कशील आधार पर वर्गीकरण के अधिक समान था।

एक पूरक यहाँ जोड़ा जा सकता है, जिससे कि ऐसा न हो कि संदर्भ को भुलाया जाये, यद्यपि भारत में ऐतिहासिक अन्यायों के लिए अपनाये गये सुधारात्मक कदमों से तुलना की जा सकती है, लेकिन 'ऐतिहासिक अन्यायों' का भारत का संदर्भ अमेरिका से बिल्कुल भिन्न है और कालों की स्थिति भारत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की स्थिति से अनेक मामलों में भिन्न हैं। सांस्कृतिक संदर्भ की गतिशीलता भारत में बिल्कुल भिन्न है।

31.4.5 फ्रांस में सकारात्मक कार्य

सुरक्षात्मक भेदभाव की फ्रांसीसी संवैधानिक योजना संबंधित एक शब्द यहाँ अप्रासंगिक नहीं है। अमेरिका या भारत में सकारात्मक कार्यक्रम फ्रांसीसी समतुल्य का भातृत्व की अवधारणा है, जिसका उद्देश्य समाज के गरीब और वंचित सदस्यों को फायदा पहुँचाना है। 1793 की धारा 21 की घोषणा में सार्वजनिक सहायता एक पवित्र कर्ज़ है। समाज का फर्ज होता है, जो कार्य करने में असमर्थ हैं, उनकी मदद करें। अधिकारों के गिरोन्डिन (Girondin) प्रस्ताव में यह कथन अंतर्निहित था कि समानता सभी के अंदर समान अधिकारों का प्रयोग करने में समाहित है। यद्यपि समानता की प्रणाली को पाँचवें गणतंत्र (Fifth Republic) में अपनाया गया है, और उसने फ्रांसीसी मानसिकता को सही दर्शाया है, यह विचित्र और विरोधात्मक है कि जितनी समानता को अमेरिकी और भारतीय प्रणाली में अपनाया गया है, उतनी फ्रांसीसी प्रणाली या तो सामाजिक-राजनीतिक वाद-विवादों या कॉनसेइल कान्सटिट्यूस्नेल (Conseil Constitutionnel) में प्राप्त होने की उम्मीद कम है।

बोध प्रश्न 3

नोट : i) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए रिक्त स्थान का प्रयोग करें।

ii) अपने उत्तर के सुझावों के लिए इकाई का अंत देखें।

1) भारत में सकारात्मक कार्य की नीति एवं प्रयोग का परीक्षण करें।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2) फ्रांस में सकारात्मक कार्य के प्रयोग पर टिप्पणी लिखें।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

31.5 अवधारणा की समीक्षा

अनेक लोग सकारात्मक कार्य के विरोधी हैं, क्योंकि वे विश्वास करते हैं कि यह निष्पक्षता के अभिप्राय का अतिक्रमण करता हैं। यह 'न्याययुक्त विश्व की विलक्षणता' का परिणाम है। स्टैनले कोरेन स्पष्ट रूप इस अवधारणा की निंदा करते हैं। उनके अनुसार, लोग महसूस करते हैं कि विश्व, कुछ इधर-उधर धमाकों के साथ सुन्दर एक स्थान है, जहाँ लोग सामान्यतया जितनी योग्यता रखते हैं, उतना पाते हैं और जितना पाते हैं, उतने की ही वे योग्यता रखते हैं। यह न्याययुक्त विश्व का सिद्धांत हमारे बाल्यकाल का ही प्रशिक्षण है

जहाँ अच्छे को पुरस्कृत किया जाता है और बुरे को दण्ड दिया जाता है। इस प्रकार के तर्क से एक सामान्य निष्कर्ष निकाला जा सकता है, जिन्हें पुरस्कृत किया जाता है, उन्हें अच्छा अवश्य होना चाहिए और जो पीड़ित होते हैं (हमारे अपने भेदभाव और पूर्णधारणा के आधार पर) उन्हें अपने भाग्य का मिला है। इन तर्कों के आधार पर निम्न बातों को सकारात्मक कार्य और सकारात्मक भेदभाव के विरुद्ध उठाया जाता है।

31.5.1 गुण संबंधी तर्क

गुणवादी सिद्धांत यह आदेश देता है कि सामाजिक अच्छाइयाँ व्यक्ति के गुण या योग्यता के आधार पर प्रदान की जानी चाहिए, वह चाहे प्राकृतिक हो या प्राप्त की हुई हो। सामान्य जटिलताओं को नज़रअंदाज़ करते हुए यह सिद्धांत उच्च शिक्षा की संस्थाओं में दाखिला या राज्य सेवाओं में नियुक्ति में यह विचार करता है कि उम्मीदवारों का चयन उनके व्यक्तिगत गुणों के आधार पर हो, जैसे उनकी योग्यता की वस्तुनिष्ठ जाँच में निश्चत ग्रेड या अंकों की प्राप्ति से संबंधित सामान्य बुद्धि और ज्ञान की जाँच इसी उद्देश्य से की जाती है। इस सिद्धांत के समर्थक दावा करते हैं कि यह सबसे अच्छा न्याय सुनिश्चित करता है, जहाँ तक कि यह पुरस्कारों या सामग्रियों का वितरण वस्तुनिष्ठ योग्यता के आधार पर करता है, जिसमें व्यक्ति की निजी विशेषताओं जैसे जन्म, वंश, रंग, लिंग, जाति का कोई स्थान नहीं होता है।

यह सिद्धांत सीमित सामानों या वितरण के लिए उपलब्ध अवसरों के लिए बड़ी संख्या में सबसे योग्य व्यक्तियों के चयन को निश्चित करता है। यह सशक्त समाज और उसके पूरी तरह से विकास को भी आश्वस्त करता है, जहाँ तक हो सके यह कठिन श्रम और उत्तम मानसिक और शारीरिक क्षमताओं के विकास के लिए प्रोत्साहन देता है।

प्रथम दृष्टि, यह लगता है कि ठोस तर्क दिया गया है, लेकिन सघन परीक्षण के बाद इसकी कमज़ोरी दिखती है। गुण का सिद्धांत अपने आप में आत्मनिष्ठ है। आखिर गुण क्या है? गुण का विचरणों से मुक्त कोई स्थिर या निश्चत अर्थ नहीं है। यह कुछ नहीं है, बल्कि कुछ पूर्व निर्धारित सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करने या मूल्य या एक खास समझी हुयी सामाजिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करने का एक मापदण्ड है। यह उद्देश्य मूल्य या आवश्यकता को नियंत्रित नहीं करता है, बल्कि उनके द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

प्रो. ह्वॉरकिन यह नहीं कहते हैं कि गुण अप्रमुख हैं, उनके तर्क पर जोर इस पर है कि गुण सामाजिक माँगों और आवश्यकताओं की दृष्टि से खास प्रकार के व्यक्तियों के लिए रास्ता बनाने से सिलसिले से निर्देशित होता है। यह वास्तव में विचारित सामाजिक उद्देश्यों, मूल्यों और आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य से निर्धारित किया जाता है और इनमें परिवर्तनों के साथ बदल जाता है।

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कृष्ण अय्यर के शब्दों में ''हमारी चयन प्रक्रिया का रुझान विकृत है और एक मायने में, उम्मीदवार जैसे कि अनुसूचित जाति और जनजातियों से जिनको भारत की एक दुखदारी समझ है, उनमें अभिजात्य वर्ग की तुलना में अधिक क्षमताएं होती हैं। अभिजात्य वर्ग जिसकी संवेदना जनता के प्रति खत्म हो चुकी है, भारतीय लोगों के स्तरों से सरकार को चलाने में कम योग्य और राज्य-व्यापार को संभालने में कम मेधावी होती है, यदि हम राज्य सेवा पर दृष्टिपात करें तो जिनमें लाखों उपभोक्ता होते हैं....। संवेदनशील हृदय और स्पंदनशील मस्तिष्क लोगों के आँसूओं को पोछते हैं, स्वाभाविक समर्पण और बौद्धिक अखण्डता देश की विकास आवश्यकताओं को तेजी से अनुप्रासित करेगा....। ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज, हार्वड या स्टैंफोर्ड या समकक्ष भारतीय संस्थाओं की डिग्री गुण या उपयुक्तता के प्रमुख अंश है''।

पूरे तर्क का ज़ोर यह है कि कार्य क्षमता की अवधारणा को हमारी विकास संबंधी आवश्यकताओं से संबंधित होना चाहिए और कार्य-क्षमता को निर्धारित करने वाली विद्यमान जाँच प्रणाली की असंदर्भता और अयोग्यता का पर्दाफाश किया जाना चाहिए।

31.5.2 अधिकार संबंधी तर्क

सकारात्मक कार्य के समन्वय की इस आधार पर भी आलोचना की जाती है कि यह अधिकार के सिद्धांत की अवहेलना करता है। यह सामान्यतया तर्क दिया जाता है कि सकारात्मक कार्य का एक समूह का समर्थन दूसरे पक्ष के विरुद्ध भेदभाव है, उन्हें समान लाभ से वंचित रखा जाता है और यह अपने आप में समानता की अस्वीकृति है, जो प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्ति होने और न कि किसी समूह के सदस्य होने के नाते अधिकार है; अतः उसे मात्र विकसित या पिछड़ी समूह का सदस्य होने के नाते अधिकार है। अतः उसे मात्र विकसित या पिछड़ी समूह का सदस्य होने के नाते अधिकार से अलग नहीं रखा जा सकता है। प्रत्येक नागरिक को यह संवैधानिक अधिकार है कि उसे कम से कम किसी सार्वजनिक लाभ के लिए प्रतियोगिता में, केवल इसलिए कि वह किसी जाति या धर्म या सम्प्रदाय या अन्य प्राकृतिक या कृत्रिम समूह का सदस्य है, जो पूर्वधारणा या अपमान का अधिकार है, बलि का बकरा नहीं बनाया जाये।

प्रो. आन्द्रे बेते ने अपने पैने लेख 'वितरणकारी न्याय और संस्थागत खुशहाली' में 'समूह अधिकार' के तर्क की आलोचना को समन्वित किया है। वे तर्क देते हैं कि एक बड़े स्तर पर जाति प्रथा मौलिक रूप से बदल गयी है। जातियों का उनके व्यक्तिगत सदस्यों पर नैतिक दावा समाज के सभी स्तरों पर कमज़ोर हुआ है, विशेषकर शहरी मध्यम वर्ग में जहाँ कि उदारतापूर्ण भेदभाव पर लड़ाई लड़ी जा रही है। यह कहना उचित होगा कि आज की किसी भी जाति को वह नैतिक सत्ता प्राप्त नहीं है कि वह अपने मध्यम वर्ग के सदस्यों पर अपनी किसी परम्परागत स्वीकृति के लिए दबाव डाले।

अपनी जाति की नैतिक सत्ता से अपने आप को मुक्त करते हुए, ऐसे व्यक्ति अब आर्थिक एवं राजनीतिक सुविधाओं के लिए यान्त्रिक रूप से इसे इस्तेमाल करने लगे हैं।

वे आगे तर्क देते हैं कि यह देखना कठिन है कि कैसे जाति और समुदाय के सार्वजनिक रोज़गार में आनुपातिक हिस्सेदारी के अधिकार के विचार को तथा आधुनिक समाज के आर्थिक विकास और उदारवादी प्रजातंत्र के प्रति प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने के अनुकूल बनाया जा सकता है। यह सच है कि जाति सामाजिक जीवन के अनेक क्षेत्रों में कार्यरत है, लेकिन, अब यह अधिकार के रूप में कार्य नहीं करती है। जाति के अस्तित्व का जारी रहना एक बात है परन्तु इसकी वैधता पूर्णतया दूसरी बात है। जाति प्रणाली की वैधता को साबित करने के लिये यह दावा कि इसकी निर्माणक इकाई को अधिकार और उपाधियां प्राप्त हैं, अंततः गलत सिद्ध होगा, लेकिन इसी बीच यह समाज और इसकी संस्थाओं को व्यापक क्षति पहुँचा सकता है। आरक्षण के पक्ष और विपक्ष में सार्वजनिक वाद-विवाद में अधिकारों की भाषा का लगातार प्रयोग जाति की चेतना को बढ़ावा देता है और इस तरह से सकारात्मक कार्य के बुनियादि लक्ष्य को परास्त करता है, जोकि जाति की चेतना को कम करना और बढ़ने नहीं देना है। वाद-विवाद में सभी पार्टियाँ कहती हैं कि वे जाति की संरचना को खत्म करना चाहती हैं। परंतु, जाति एक भौतिक भवन नहीं है, जिसे शारीरिक रूप से ध्वस्त और नष्ट किया जा सकता है। सर्वप्रथम, यह लोगों की चेतना में है, एक तरफ विभाजन और पृथकता के अर्थ में और दूसरी तरफ पद और श्रेणी की असमानता के अर्थ में।

प्रो. एम.पी. सिंह व्याख्या का प्रयास करते हुए कहते हैं कि कुछ खास जातियों को युक्तिसंगत ढंग से हजारों वर्षों से सामग्रियों और अवसरों से बहिष्कृत किया गया है, जिनकी इच्छा वे निश्चित रूप से रखते होंगे क्योंकि वे उस जाति से संबंधित हैं। यह सच है कि जन्म के आधार पर किसी भी वर्गीकरण को साधारणतया समर्थन नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि आज खास जातियाँ और पिछड़ापन समान है। उदाहरणार्थ, अनुसूचित जाति और जनजाति पिछड़ापन के प्रतीक है। हजारों वर्षो से उन्हें अछूत माना जाता रहा है और समाज के अन्य सदस्यों के साथ मिलने के अधिकार से वंचित रखा गया है। वे व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि समूह या जाति के रूप में सभी प्रकार के असम्मान और अयोग्यताओं से गुजरे हैं। इस प्रकार उन्हें समूह के सदस्य के रूप में और बिना गैर-सदस्यों की समानता के अधिकार का हनन करते हुए विशेष उपचार प्रदान करना चाहिए। इस परिस्थिति में व्यक्ति के समानता के अधिकार को उचित सम्मान दिया जाता है, क्योंकि समूह के सदस्य उपलब्ध सीमित सामग्रियों के विभाजन के लिए अपने में प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं।

यह हमें विचित्र स्थिति में डालता है; यदि जाति नियम का प्रयोग सुरक्षात्मक भेदभाव करने के लिए किया जाता है, तो जाति विभाजन को बढ़ावा मिलता है तथा पहचान, वर्ग या जाति के आधार पर निर्धारित की जाती है। दूसरी तरफ, यदि जाति पहचान को सार्वजनिक रोजगार और ऊँचे शिक्षण संस्थानों में दाखिलों के लिए नज़रअंदाज़ किया जाता है, तो उन्हें हज़ारों वर्षों के शोषण और दमन के चलते उनकी अयोग्यताओं को दूर करने के अवसर से वंचित रखा जाता है। समाधान कहीं सुनहरे मध्य में प्रतीत होता है। लचीलापन, सार है असमानताओं को दूर करने के लिए नीतियों के निमार्ण और प्रयोग में, जो विभिन्न कारणों की वजह से पैदा हुयी हैं।

31.5.3 कार्य क्षमता संबंधी तर्क

यह सकारात्मक भेदभाव के विचार में निहित है कि एक कम मेधावी व्यक्ति को एक अधिक मेधावी व्यक्ति की अपेक्षा चुना जाता है। इस तर्क के समर्थक कहते हैं कि यदि भूत की शिकायतों की सुनवाई पर हम ज़ोर देते हैं, तो हम सार्वजनिक संस्थाओं की कार्य-क्षमता की जड़ खोदते हैं तथा आनेवाली संतति को अपूरणीय क्षति पहुँचायेंगे। फिर भी इस तर्क के समर्थकों को भी समझना चाहिए कि सार्वजनिक स्थल से कुछ वर्गों को अलग करना अधिक क्षति पहुँचा सकता है, बनिस्पत ऐसी कार्य क्षमता जिसे वे सामाजिक खंण्डन की कीमत पर प्राप्त करना चाहते हैं।

31.5.4 बलकनाईज़ेशन संबंधी तर्क

ऊपर यह बताया गया है कि सकारात्मक भेदभाव वर्ग, जाति और वर्ण विभिन्नता को रेखांकित करता है तथा सामाजिक विभाजनों को बढ़ावा देता है, जो पहले से ही भारतीय सामाजिक-राजनीतिक प्रणाली और अमेरिका में तीव्र हैं। सकारात्मक कार्यक्रम जाति युक्त और नस्लीय समाजों को जोकि पहले से ही वंशानुगत और जाति समूहों में बंटे हुए है, और प्रत्येक समूह के रूप में संसाधनों आजीविका या अवसरों के कुछ अनुपातिक हिस्से के हकदार हैं, को और अधिक स्थित करते हैं।

भारत में विभाजन के इतिहास के चलते, जिसके परिणामस्वरूप लगभग एक लाख लोगों का जनसंहार हुआ तर्क कि सकारात्मक भेदभाव लोगों को बांटने में सहायक होता है, विभाजन के दुखद इतिहास को पुनर्जीवित करता है। सांप्रदायिक कीटाणु, जो रैमसे मैकडौनाल्ड पुरस्कार के साथ शुरू हुआ, और जिसका चरणबिंदु उपमहाद्वीप के विभाजन

के रूप में हुआ, ऐसे मुद्दे उठा गया जिनका अभी तक सामाधान नहीं हुआ है। यहाँ तक कि सकारात्मक भेदभाव का इतिहास भी साफ-सुथरा नहीं रहा है। आरक्षणों का विस्तार, सर्वप्रथम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए, और उसके बाद अन्य पिछड़ी जातियों (OBC) के लिए पहले से ही बहुत सारे आपसी कलहों का कारण बना है। अब उन्नत जातियों (Forwards) के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग भी आरक्षण की माँग कर रहे हैं। ईसाइयों और मुस्लिमों के द्वारा आरक्षण की माँग, यद्वपि हल्की, उठायी जा रही है। यह सकारात्मक भेदभाव की पूरी अवधारणा को एक राजनीतिक उपकरण बना देता है, आरक्षण की नीति को कभी न खत्म होने वाली और लोगों को अपने बलबूते खड़े रहने के प्रोत्साहन देने की अपेक्षा उन्हें बांटता है। ये सभी देश की एकता के बारे में तीव्र चिन्ता उत्पन्न करते हैं।

सकारात्मक भेदभाव के समर्थकों ने इस प्रकार के तर्क को बेबुनियादी तर्क माना है, जो सकारात्मक कार्य कार्यक्रम को अविश्वसनीय बनाने की कोशिश कर रहा है। उनका तर्क लागू करने के मोर्चे पर असफलता है कि नीति को अपने आप में रद्द करने का तर्क नहीं होना चाहिए। प्रो. ड्वॉवॅर्किन ने अमेरिकी संदर्भ में बल्कनाईज़ेशन के तर्क के संबंध में इस भय को खत्म करने की कोशिश की है कि सकारात्मक कार्य कार्यक्रम का गठन बल्कनाईज़्ड अमेरिका का निमार्ण करेगा, जो वंशानुगत और जातीय उप-देशों में बंटा हुआ है। वे कमजोर और सताये लोगों के उत्थान के लिए कठोर कार्यवाही करते हैं या वे असफल हो जायेंगे, लेकिन उनका अंतिम लक्ष्य अमेरिकी सामाजिक और पेशेवर ज़िन्दगी में नस्ल के महत्व को कम करना और बढ़ने से रोकना है।

प्रो. ड्वॉवर्किन लिखते हैं कि 'अमेरिकी समाज आज एक नस्लीय जागरूक समाज है, यह दासता, दमन और पूर्वधारणा के इतिहास का अनिवार्य तथा प्रत्यक्ष परिणाम है। काले पुरुष और महिलायें, लड़के और लड़कियाँ अपनी भूमिका को चुनने या दूसरे उन्हें किस सामाजिक समूह के सदस्य के रूप में स्वीकारते हैं, में स्वतंत्र नहीं है। वे काले हैं और उनके व्यक्तित्व, राजभक्ति या शौक की कोई दूसरी विशेषता इतनी प्रभावित नहीं करेगी कि उन्हें कैसे समझा जायेगा और दूसरों के द्वारा कैसा व्यवहार किया जायेगा, और जीवन की जो सीमायें और चरित्र उनके लिए खुला होगा। काले डॉक्टरों और दूसरे पेशेवालों की छोटी संख्या अमेरिकी जातिय चेतना के परिणाम और विद्यमान कारण हैं। .... तत्कालीन लक्ष्य इन पेशों में खास नस्लों के सदस्यों की संख्या को बढ़ाना है। लेकिन उनका दीर्घकालिक लक्ष्य उस मात्रा को कम करना है, जिससे की अमेरिकी समाज को पूरी तरह से जातिय जागरूक समाज माना जाता है''।

बोध प्रश्न 4

नोट : i) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए रिक्त स्थान का प्रयोग करें।

ii) अपने उत्तर के सुझावों के लिए इकाई का अंत देखें।

1) निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें :

अ) सकारात्मक कार्य के विरुद्ध गुण संबंधी तर्क ।

.....

.....

.....

.....

.....

2) सकारात्मक कार्य के विरुद्ध अधिकार संबंधी तर्क ।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

31.6 सारांश

सकारात्मक रूप में इकाई के अंत में यह दर्शाना महत्वपूर्ण है कि प्रत्यक्ष ज्ञान में परिवर्तन ज़रूरी है, जो व्यक्ति को निष्कासन की पुरानी प्रणाली से समावेशन की नयी प्रणाली की ओर ले जाता है, एक जो लोगों को दूसरों को 'संभावित परभक्षी' की तरह नहीं, बल्कि 'लाभकारी साथी' के रूप में देखने योग्य बनाता है; एक जो हमारे मूल्यों को अधिपत्य से सहयोग की ओर बढ़ता है और एक जो हमारे नैतिक नियम को स्वार्थ से जुड़े लोभ आधारित विचार से जोश आधारित सामाजिक आध्यात्मिक एकीकरण की ओर रूपान्तरित करता है। 21वीं शताब्दी हमारा ध्यान अंतः संबंधित न सिर्फ तकनीकी रूप से, बल्कि मानवीय, पर्यावरण और आध्यात्मिक ढंग से आकर्षित करेगा। एक नयी प्रणाली, एक सामाजिक-पारिस्थितिकीय विश्व दृष्टिकोण की इस प्रकार ज़रूरत होती है जो कि जो प्रतियोगिताएँ संसार और ज़िन्दगी के सभी रूपों को भागों के विघटित संग्रह की अपेक्षा एक संपूर्ण एकीकृत रूप में देखता है। सकारात्मक कार्य के लिए ज़ोर की जो चर्चा यहाँ की गयी है, इस दिशा में इसका झुकाव है।

अब वक्त आ गया है कि हम सकारात्मक कार्य में परिवर्तन के लिए विचारार्थ प्रस्तुत करें, न कि इससे छुटकारा पायें। कृत्रिम असमानताओं और प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान अवसर की सुरक्षा, भले ही उनके सामाजिक-आर्थिक, ऐतिहासिक, जैविक या सांस्कृतिक परिस्थितियाँ कुछ भी हो, चाहे आकस्मिक या उद्देश्यपूर्ण हों, उसे सुगम बनाने की आवश्यकता है। तब सकारात्मक कार्य को सामाजिक रूपान्तरण के वाहन के रूप में देखा जाएगा, जहाँ शोषण या अनुचित अधिपत्य नहीं होगा और लोग तीसरी सहस्त्राब्दी में सुरक्षित ढंग से सामाजिक यात्रा के लिए आदर और गौरव के साथ, जिनके प्रत्येक मानव हकदार हैं, प्रवेश करेंगे।

31.7 कुछ उपयोगी संदर्भ

ऐडरसन, क्लॉद, *ब्लैक लेबर, व्हाईट वेल्थ* (ऐजवुड एम.डी. : डंकन एंड डंकन), 1994

बैरन, हैरॉल्ड एम, 'द वेव ऑफ रेसिज़्म', इन लुइस एल. नॉलस एंड कैनैथ प्रैविट, *इन्सटीटयुश्नल रेसिज़्म इन अमेरिका* (प्रेन्टिस - हॉल, इंक.), 1969

क्रिस्टॉफर एडले जूनियर, 'फॉर्म ओवर सबस्टैन्स, नॉट ऑल ब्लैक एंड व्हाईट : अफरमेटिव ऐक्शन, रैस एण्ड अमेरिकन वैल्यूज़, ILO, हावर्ड लॉ रिव्यु, 1645, में 1997

फ्रैन ऐन्सले 'अफरमेटिव ऐक्शन' डाईवर्सिटी ऑफ इम्पैक्ट ऑफ एलिमिनेटिंग अफरमेटिव ऐक्शन' 27, गोल्डन गेट यूनिवर्सिटी लॉ रिव्यु 313, स्प्रिंग 1997

जिम रौन सिम्पोज़िअम ऑन अफरमेटिव ऐक्शन : डाईवर्सिटी एंड किंग, कॉरेटा स्कॉट, 1967, इन 'प्रिफेस' ऑफ मार्टिन लुथरकिंग, जूनियर *वेयर डू वी गो फ्रॉम हेयर : कैओस*

ऑर कम्यूनिटी? (बॉस्टन : बीकन प्रेस)

किवेल, पॉल, अपरूटींग रेसिज़्म : *हाउ व्हाईट पिपल कैन वर्क फॉर रेशिअल जस्टिस* (फिलैडिल्फिया : न्यू सोसाईटी पब्लिशर्स), 1996

लोयर, अनामारिया, 'अफरमेटिव ऐक्शन', लैटिनो नेटवर्क न्यूज़लेटर, वॉल्यूम 1:1, सितम्बर 15:1:1

रॉल्स, जॉन, *ए थ्योरी ऑफ जस्टिस* (कैम्ब्रिज, एम.ए. हार्वड यूनीवर्सिटी प्रेस), 1971

रोसौडो, कैलेब, 'अफरमेटिव ऐक्शन एंड द गॉस्पेल' मेसेज, जुलाई - अगस्त 1995, स्मैडले ऑड्रे, *वे रेस इन नॉर्थ अमेरिकाः ऑरिजिन एंड इॅवाल्युशन ऑफ ए वर्ल्डव्यु*, बोल्डर, सीओ : नेस्टव्यु प्रेस, 1993

स्मिथ, एन्थोनी डी, *दी ऐथनिक ओरिजिन्स ऑफ नेशन्स* (न्यूयॉर्क : बासिल ब्लैकवेल), 1986

विली, चार्ल्स वी, 'यूनिवर्सल प्रोग्राम्स ऑर अनफेयर टू मॉयनॉरिटी ग्रुप्स', द क्रॅनिकल ऑफ हाईअर एजुकेशन, दिसम्बर 4, 12.3.1991

31.8 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न 1

1) भाग 31.2 देखें।

2) उप-भाग 31.2.1 देखें।

बोध प्रश्न 2

1) भाग 31.3 देखें

बोध प्रश्न 3

1) उप-भाग 31.4.1 देखें।

2) उप-भाग 31.4.5 देखें।

बोध प्रश्न 4

1) उप-भाग 31.5.1 और 31.5.2 देखें।